तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टी.ए./2838/2002/गंगानगर महेन्द्र कौर बनाम जसकरणसिंह	नम्बर व तारीख

खण्डपीठ

श्री रामनिवास जाट, सदस्य

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित –

श्री सतवीर सिंह सिंधु, अधिवक्ता, अपीलार्थी

श्री वीरेन्द्र सिंह राठौड, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 19.10.2023

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 88/98 बउनवानी जसकरण सिंह बनाम मुख्तयार कौर में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–02–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मृतक वादिनी प्रत्यर्थी संख्या–2 मुख्त्यार कौर बेवा दलीपसिंह ने अपीलार्थी व अन्य प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के तहत एक वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादिनी के पति दलीपसिंह के नाम गांव 6 डीडी में मुरब्बा नम्बर 13 में $81\frac{1}{3}$ हिस्सा, मुरब्बा नम्बर 19 में $83\frac{1}{3}$ हिस्सा एवं मुरब्बा नम्बर 27 में $137\frac{1}{2}$ हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज है। दलीप सिंह की दिनांक 13–9–1992 को मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात् दोनों पुत्रों (जसकरण व जसपालसिंह) व पुत्रियो (अमरजीत कौर व महेन्द्र कौर) तथा वादनी मुख्तयार कौर बेवा दलीप सिंह प्रत्येक को 1/5 हिस्सा रकबा आता है। जसपाल सिंह दिनांक 16.04.1992 को फौत हो गया है जिसके पश्चात् उसके 1/5 हिस्से में से मुख्तयार कौर, पत्नी गुरमीत कौर व पुत्र अंग्रेज सिंह 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार हो गए। दावा प्रस्तुत कर वादी ने अपने पति के नाम दर्ज आराजी में स्वयं का 1/5 + 1/15 हिस्सा घोषित किए जाने की इस्तदुआ की है। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या– 2 व 3 ने जवाबदावा पेश कर वादिनी का का 1/5 हिस्सा होना कथन किया तथा प्रतिवादी संख्या–1, 4 व 5 की ओर कोई जवाबदावा पेश नहीं किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित तीन तनकीयात कायम की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 04–07–1998 से विवादित आराजी में वादिनी को 2/15 हिस्से का, प्रतिवादी नं0– 1 को 2/5 हिस्से का, प्रतिवादिनी नं0– 2 को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी नं0– 3 को 4/5 हिस्से का, प्रतिवादिनी नं0– 4 को 1/15 हिस्से का, प्रतिवादिनी नं0– 5 को 1/15 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी प्रत्यर्थी संख्या–1 ने राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टी.ए./2838/2002/गंगानगर महेन्द्र कौर बनाम जसकरणसिंह	नम्बर व तारीख

16–02–2002 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

मण्डल हाजा के समक्ष अपील के विचाराधीन रहते विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी का दिनांक 1–11–2018 को प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार वादी प्रत्यर्थी संख्या–2 मुख्त्यार कौर बेवा दलीपसिंह एवं प्रतिवादी प्रत्यर्थी संख्या–7 अमरजीतकौर पुत्री दलीपसिंह का देहान्त होने एवं उनके वारिसान पूर्व से रिकार्ड पर होने के आधार पर नाम तर्क करने की प्रार्थना की, जिसे मण्डल हाजा की खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–11–2018 से स्वीकार कर प्रत्यर्थीगण संख्या–2 मुख्त्यार कौर एवं प्रत्यर्थी संख्या–5 अमरजीत कौर का नाम तर्क करने के आदेश पारित किये गये।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने तर्क किया कि मण्डल के समक्ष पक्षकारान के मध्य राजीनामा दिनांक 01–08–2023 को हो गया है और उक्त राजीनामें को खण्डपीठ के आदेशानुसार अतिरिक्त निबन्धक (न्याय) द्वारा तस्दीक भी किया जा चुका है। राजीनामें अनुसार मूल खातेदार दलीप के वारिसान में उसकी पत्नी मुख्त्यार कौर का निधन हो चुका और उसकी पुत्री अमरजीत कौर भी अविवादित फौत हो चुकी है। मूल खातेदार के दो वारिसान के फौत होने के उपरान्त तीन वारिस शेष है और तीनों का मृतक खातेदार की भूमि में 1/3 – 1/3 हिस्सेनुसार निर्णय पारित किया जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जावे। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने जाहिर किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है और राजीनामें अनुसार निर्णय पारित किया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी के मूल खातेदार दलीप सिंह के नाम दर्ज विवादित आराजी में उसकी मृत्यु उपरान्त विधिक वारिसान के मध्य हिस्से को लेकर विवाद था। द्वितीय अपील के स्तर पर पक्षकारान के मध्य लिखित राजीनामा दिनांक 01–08–2023 को हो गया है। राजीनामें अनुसार मूल खातेदार दलीप के वारिसान में उसकी पत्नी मुख्त्यार कौर का निधन हो चुका और उसकी पुत्री अमरजीत कौर भी अविवादित फौत हो चुकी है और वर्तमान में स्वर्गीय दलीपसिंह के महेन्द्रकौर पुत्री, जसकरणसिंह पुत्र तथा मृतक पुत्र जसपालसिंह की पत्नी गुरमीतकौर व उसका पुत्र अग्रेजसिंह ही शेष वारिस है। और राजीनामें अनुसार मूल खातेदार के दो वारिसान के फौत होने के उपरान्त तीन वारिस शेष है और तीनों का मृतक खातेदार की भूमि में 1/3 – 1/3 बहिस्सा बराबर निहित होना कथन किया है। साथ ही यह भी अंकित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टी.ए./2838/2002/गंगानगर महेन्द्र कौर बनाम जसकरणसिंह	नम्बर व तारीख

किया गया है कि मूल खातेदार दलीपसिंह के मृतक पुत्र जसपालसिंह के 1/3 हिस्से में उसकी पत्नी गुरमीतकौर प्रत्यर्थी संख्या–2 व उसका पुत्र अग्रेजसिंह प्रत्यर्थी संख्या–4 दोनों का बराबर 1/2 हिस्से के हकदार है परन्तु गुरमीतकौर ने अपना हक व हिस्सा अपने पुत्र अग्रेजसिंह के हक में 1/2 हिस्से की रजिस्टर्ड रिलीजडीड अपने पुत्र के पक्ष में करवा दिये जाने से अग्रेजसिंह अपने पिता जसपालसिंह के सम्पूर्ण 1/3 हिस्से का अकेला हकदार हो गया है। उक्त राजीनामा दिनांक 1/8–2023 को मण्डलहाजा की खण्डपीठ के आदेशानुसार अतिरिक्त निबन्धक (न्याय) द्वारा तस्दीक किया गया है, जिसमें सभी पक्षकारो की पहचान उनके अधिवक्तागण द्वारा की गयी है। ऐसी स्थिति में पक्षकारान के मध्य मृतक मूल खातेदार की विवादित आराजी में हिस्से बाबत् कोई विवाद शेष नहीं रहने से तस्दीकशुद्धा राजीनामें अनुसार निर्णय पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तस्दीकशुद्धा राजीनामें अनुसार स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या–88/1998 बउनवानी जसकरणसिंह बनाम मुख्त्यार कौर व अन्य में पारित व डिक्री दिनांक 16–2–2002 एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा मूल वाद संख्या–63/1992 बउनवानी मुख्त्यार कौर बनाम जसकरण व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4–7–1998 को अपास्त किया जाता है तथा मृतक मूल खातेदार दलीपसिंह के नाम गांव 6 डीडी में मुरब्बा नम्बर 13 में $81\frac{1}{3}$ हिस्सा, मुरब्बा नम्बर 19 में $83\frac{1}{3}$ हिस्सा एवं मुरब्बा नम्बर 27 में $137\frac{1}{2}$ हिस्सा में अंकित आराजी उसके वर्तमान वारिसान अपीलार्थी महेन्द्रकौर पुत्री, एवं प्रत्यर्थीगण संख्या–1 जसकरण पुत्र तथा प्रत्यर्थीगण संख्या–4 अग्रेजसिंह पुत्र जसपालसिंह (अग्रेजसिंह पौत्र स्व0 दलीपसिंह) को 1/3 – 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(रामनिवास जाट)
सदस्य